प्रेस नोट
दिनांक 17.11.2025

मिशन शक्ति 5.0 के तहत वामा सारथी एसोसिएशन की अध्यक्षा द्वारा महिला थाना परिसर में सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली डिग्री कॉलेज की छात्राओं से किया गया संवाद, उपस्थित छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया ––

गोण्डा। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत आज दिनांक 17.11.2025 को महिला थाना परिसर में एक विशेष जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली विद्यालय, गोण्डा की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं में सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, जागरूकता एवं पुलिस तंत्र के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता वामा सारथी संघ की अध्यक्ष श्री तनवी जायसवाल द्वारा की गई। उन्होंने विद्यालय से आयी हुई छात्राओं से संवाद स्थापित करते हुए उनके विद्यालय आने–जाने के दौरान आने वाली कठिनाइयों एवं असुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें यह विश्वास दिलाया कि पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा और सहयोग हेतु तत्पर है। महोदय द्वारा छात्राओं को आत्मनिर्भर, सजग एवं सशक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी प्रदान की गई, जिनमें प्रमुख रूप से 1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन), 181 (महिला समग्र सहायता हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1930 (साइबर ठगी हेल्पलाइन) एवं 1098 (चाइल्डलाइन) शामिल हैं। उन्होंने छात्राओं को बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे निःसंकोच इन हेल्पलाइन नम्बरों के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों के बढ़ते प्रचलन पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए महोदया ने छात्राओं को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, फिशिंग, ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी एवं साइबर बुलिंग से बचाव के उपायों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को समझाया कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या ऑनलाइन ऑफर पर भरोसा न करें तथा अपने व्यक्तिगत डाटा या पासवर्ड किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें। कार्यक्रम के अंतर्गत महिला थाना प्रभारी, महिला बीट पुलिस अधिकारीगण एवं अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा भी छात्राओं को सुरक्षा, आत्मरक्षा एवं कानून संबंधी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मिशन शक्ति अभियान से संबंधित जागरूकता पंपलेट्स भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की एवं पुलिस अधीक्षक महोदया से संवाद के दौरान अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जिनका समाधान उन्हें सहज, प्रेरक एवं आत्मविश्वासपूर्ण रूप में प्रदान किया गया।

इस अवसर पर महिला थाना प्रभारी, डायल–112 प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक, विद्यालय के अध्यापकगण सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.11.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा बलवा एवं जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–521/2025, धारा 191(2),191(3),190,115(2),118(1),117(2),109(1),110,352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त– अंकुश सिंह पुत्र बलराम सिंह, निवासी शीतल सिंह पुरवा कोयली जंगल, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को 24 घण्टे के अन्दर हतवा कोयली जंगल मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.11.2025 को वादी मंजू देवी द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि लाला बगिया पुल पर पुरानी रंजिश की पंचायत हो रही थी जहां उसके पति आनन्द यादव तथा पटीदार किशनलाल यादव व दशरथ यादव पर विपक्षीगणों द्वारा असलहे से फायर कर तथा भाला/धारदार हथियार/लोहे की रॉड से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया गया है। हमले में आनन्द यादव के सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोटें, तथा किशनलाल व दशरथ को भी गंभीर धारदार चोटें आईं है। मौके पर आए ग्रामीणों द्वारा घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ से आनन्द यादव को गंभीर अवस्था में लखनऊ रेफर किया गया है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 17.11.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा घटना में सलिप्त आरोपी अभियुक्त अंकुश सिंह पुत्र बलराम सिंह, निवासी शीतल सिंह पुरवा कोयली जंगल, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को 24 घण्टे के भीतर हतवा कोयली जंगल मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अंकुश सिंह पुत्र बलराम सिंह, निवासी शीतल सिंह पुरवा कोयली जंगल, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–521/2025, धारा 191(2),191(3),190,115(2),118(1),117(2),109(1),110,352,351(3) थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–143/22, धारा 434,504,506 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 वीरपाल सिंह।
02. हे0का0 यशवंत प्रताप सिंह।
03. कां0 अजय प्रताप सिंह।
04. कां0 उज्जाला सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।